

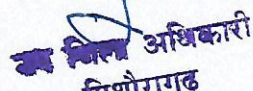
परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में गोगिना सल्ला से चिंगरी पन्ना चौड मोटर मार्ग का निर्माण।

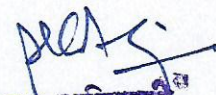
जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण -पत्र

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद पिथौरागढ़ में गोगिना सल्ला से चिंगरी पन्ना चौड मोटर मार्ग (1.500कि०मी०) मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु कुल 1.05 है० भूमि प्रस्तावित है। जिसमें राज्य सरकार की भूमि 0.77 है० प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी० दिनांक-05.02.2013 के द्वारा सड़क निर्माण नहर निर्माण पारेसण लाईन ओ०एफ०सी० केवल पाइप लाइन विछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के आदेश के कम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहा है।


जिलाधिकारी
पिथौरागढ़


(डि०डी०मद०)
राजस्व उपनिरीक्षक
तहसील एवं जिला पिथौरागढ़


जिला अधिकारी
पिथौरागढ़
(कृषिखण्ड)


जिला अधिकारी
पिथौरागढ़
जिलाधिकारी

परियोजना विवरण:- जनपद पिथौरागढ़ में गोगिना सल्ला मोटर मार्ग चिंगरी पन्ना चौड मोटर मार्ग का निर्माण।

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FROM-1

(For linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Pithoragarh
No.-----

Date-27/08/15

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the Moef issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with Moef letter dated 5th February 2013 wherein Moef issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.77 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of public work department for in pithoragarh district falls within jurisdiction of chingari. Village (s) in Munakot (Pithoragarh) teahails.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.77 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of Division level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30.1 To 30.4 annexure...
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

27/08/15
विनोद गोस्वामी
पिथौरागढ़

(डी०डी०भट्ट)
राजस्व उपनिरीक्षक
माली एवं गिला पिथौरागढ़
27/08/15

Signature
(Vinod Goswami)

27/08/15
अधिकारी
पिथौरागढ़
(उत्तराखण्ड)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT, Pithoragarh (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA) 2006

A meeting of district level committee of Pithoragarh district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship Mr. Vinod Goswami deputy commissioner Pithoragarh on dated 27/08/2015 At time 2:30 PM At PITHORAGARH in which application claiming rights in 1.050 hect. Area measuring 0.77 hect for the construction of **Gogina Salla Motor Road to Chingari Panna Choud Motor Road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division were discussed to consider same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/ claims were found to have been made & hence district level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place- Pithoragarh

Dated- 27/08/15

Deputy Commissioner Cum- Chairman
District Level Committee

(अधीक्षक)
राजस्व उपनिरीक्षक
तहसील एवं जिला पथौरागढ़

अधीक्षक
पथौरागढ़

अधीक्षक
पथौरागढ़
(उत्तराखण्ड)

प्रारूप-30.2

परियोजना विवरण :- जनपद पिथौरागढ़ में गोगिना सल्ला मो0 मार्ग से चिंगरी पन्ना चौड मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

उपखण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में गोगिना सल्ला मो0 मार्ग से चिंगरी पन्ना चौड मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.42 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.35 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.77 हे0 वन भूमि) का ग्रामीण निमाण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पिथौरागढ़) की दिनांक _____ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री _____, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | |
|----|--|-----------|------------|
| 1- | श्री अरुण आर्य उपजिलाधिकारी | पिथौरागढ़ | अध्यक्ष |
| 2- | श्री प्रदीप कुमार प्रमाणिक वनाधिकारी | पिथौरागढ़ | सदस्य |
| 3- | श्री प्रदीप कुमार प्रमाणिक सहायक समाज कल्याण अधिकारी | पिथौरागढ़ | सदस्य/सचिव |
| 4- | श्री प्रदीप कुमार प्रमाणिक वन अधिकारी | पिथौरागढ़ | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ़ में गोगिना सल्ला मो0 मार्ग से चिंगरी पन्ना चौड मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। परियोजना हेतु 5.670 हे0 वन भूमि ग्रामीण निमाण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रमाणीय वनाधिकारी, अनिल कुमार श्रीवास्तव द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।
बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड _____ परिक्षेत्र के अन्तर्गत परियोजना के निर्माण हेतु _____ हे0 वन भूमि _____ प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- पिथौरागढ़
जनपद पिथौरागढ़

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, _____ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- पिथौरागढ़
जनपद पिथौरागढ़
(जी0डी0भू0भू0)
राजस्व उपनिरीक्षक सुखरा
जिला अधिकारी,
पिथौरागढ़
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
पिथौरागढ़
(उत्तराखण्ड)

प्रारूप-30.3

परियोजना विवरण :- जनपद पिथौरागढ़ में गोगिना सल्ला मो0 मार्ग से चिंगरी पन्ना चौड मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम

तहसील

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ में गोगिना सल्ला मो0 मार्ग से चिंगरी पन्ना चौड मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.42 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.35 हे0, वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.77 हे0 वन भूमि का ग्रा0 नि0 वि0 पिथौरागढ़ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05/07/2015 को ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्रा0 नि0 वि0 पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-
ग्राम सचिव

मुखर सहित
निर्माण (पिथौरागढ़)

सदस्य

क्षेत्र पंचायत जाजर चिंगरी
वि०ख०-पूनाकोट (पिथौरागढ़)

ग्राम प्रधान/सदस्य
मुखर सहित



प्रारूप-30.4

दिनांक 05/17/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत जाजर विंगरी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	पदम सिंह	पदम सिंह
2-	विनोद चन्द	विनोद चन्द
3-	हरेश चन्द	सुरेश चन्द
4-	साव चन्द	साह चन्द
5-	जसी चन्द	जसी चन्द
6-	दान सिंह	दान सिंह
7-	गजेन्द्र शर्मा	गजेन्द्र शर्मा
8-	मनोज मल	मनोज
9-	रविन्द्र मल	रविन्द्र
10-	शेखर सिंह	शेखर सिंह
11-	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
12-	विक्रम शर्मा	विक्रम शर्मा
12-	मनल शर्मा	मनल शर्मा
14-	शंकर सिंह	शंकर सिंह
15-	चेचल शर्मा	चेचल शर्मा
16-	चतुः प्रकाश	चतुः प्रकाश
17-	विनोद शर्मा	विनोद शर्मा

18- गणेश शर्मा

19- भरुण शर्मा - *Arin Kumar*
 20- प्रदीप चन्द - *Pradeep*
 21- मनोज चन्द - *Manoj*
 21- प्रवीण चन्द - *Praveen*

उनिता राय

